

वास्तु संशोधित शीर्षक दि० 16-11-22 वा
पत्र की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०

वकील वादी उपर। वादी वकील का संशोधित
शीर्षक पेथ करने हेतु दि० 08/05/22
से लम्बित है। वादी इन डॉक्युमेंट्स
दिवा जा रहा है। जिससे वादी की उक्त
वाद का आगे चलाने की राह प्रहित नहीं
होगी है। नित से वादी काज कर रहे हैं।
वादी का वाद न्यायालय को देना की
नहीं करने पर पत्रावली 03/05
में खाति किया जाय है। पत्रावली केसल
सुमा होकर नम्बर से कम है। वाद
पूरी दायित्व दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०

